न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी: प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 – 1468/2015

प्रविष्टि दिनांक – 15.7.2015

उनवान

कमला धर्मपत्नी हरिशचन्द जाति ब्राहमण निवासी टोंक

प्रार्थिया

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र श्योजीनाथ जाति नाथ निवासी कृष्णा कॉलोनी आदर्श नगर टोंक
2. कैलाशी पत्नी श्योजीनाथ जाति नाथ निवासी कृष्णा कॉलोनी आदर्श नगर टोंक
3. बुद्धिप्रकाश पुत्र श्योजीनाथ जाति नाथ निवासी कृष्णा कॉलोनी आदर्श नगर टोंक

प्रतिपक्षीगण

उपस्थित– श्री योगेश व्यास–अभिभाषक प्रार्थिया
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा–अभिभाषक प्रतिपक्षीगण

निर्णय

दावा बाबत– स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक– 29/01/18

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थिया द्वारा अपने वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार ख.न. 5230/13 रकबा 18 बिस्वा, ख.न. 6458/4 रकबा 17 बिस्वा, ख.न. 7577/7298 रकबा 17 बिस्वा, किता–3, कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा शर्की टोंक तहसील टोंक मे स्थित है। उक्त भूमि की प्रार्थिया तन्हा खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबधं नही है। प्रतिवादीगण प्रार्थिया की उक्त भूमि मे नींव खोदकर पुख्ता निर्माण करने पर अमादा है। आये दिन प्रार्थिया के कब्जेकाश्त मे मजाहमत करते रहते है। अतः प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबन्द किया जावे कि वे किसी भी प्रकार से प्रार्थिया की भूमि मे जबरन घुस कर निर्माण नही करे, भूमि को कृषि से अकृषि कार्य मे परिवर्तन नही करे। प्रार्थिया को जबरन बेदखल नही करे।

इसके पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षी सं0 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिपक्षीगण किसी भी प्रकार से प्रार्थिया की भूमि मे मजाहमत नही करते है। प्रार्थिया स्वयं प्रतिपक्षीगण से झगडा करते है। प्रतिपक्षी सं0 2 का एक प्लाट कृष्णा कॉलोनी मे है। उक्त प्लाट आबादी भूमि नगरपरिषद मे है। न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार नही है। प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संवत 2070–73, प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

हमने प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। बहस का पृथक से विवेचन नही किया जा रहा है। प्रार्थी के हक अधिकार संबंधी तथ्य, साक्ष्य दस्तावेजो से वाद निर्णय के समय तय किये जायेंगे। प्रार्थनापत्र के अंकितानुसार ख.न. 5230/13, 6453/4, 7577/7298 कुल किता–3, कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा ग्राम कस्बा शर्की टोंक की प्रार्थिया तन्हा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार साबित है जिसका प्रथम दृष्टया प्रतिपक्षीगण से कोई संबधं नही है तथा प्रतिपक्षीगण ने अपने जवाब मे जिस प्लाट का उल्लेख किया है उस प्लाट का प्रार्थिया की भूमि से कोई संबध नही है। चूंकि वर्तमान मे विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार कृषि भूमि है जिसका न्यायालय हाजा का श्रवणाधिकार है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थिया की भूमि से प्रतिपक्षीगण का कोई संबधं स्पष्ट नही होने से

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रथम दृष्टया केस प्रार्थिया के पक्ष मे है। जमाबंदी संवत 2070–73 से उक्त विवादित भूमि की एकमात्र प्रार्थिया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं किसी भी साक्ष्य से उक्त भूमि मे प्रतिपक्षीगण का कोई संबंध स्पष्ट नही होता है इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष मे साबित है। चूंकि प्रार्थिया एक महिला है और प्रतिपक्षीगण द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थिया की भूमि मे मजाहमत किये जाने से हानि प्रार्थिया को होने की संभावना है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थिया के पक्ष मे जाता है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र के तीनो घटक प्रार्थिया के पक्ष मे साबित होने के कारण प्रार्थिया, प्रतिपक्षीगण को वाद निर्णय तक पाबन्द कराने की अधिकारी है। अतः यह न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ख.न. 5230/13 रकबा 18 बिस्वा, ख.न. 6458/4 रकबा 17 बिस्वा, ख.न. 7577/7298 रकबा 17 बिस्वा, किता–3, कुल रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम कस्बा शर्की टोंक तहसील टोंक स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा, वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे किसी भी प्रकार से प्रार्थिया की भूमि मे जबरन घुस कर निर्माण नही करे, भूमि को कृषि से अकृषि कार्य मे परिवर्तन नही करे। प्रार्थिया को जबरन बेदखल नही करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर, नंबर से कम की जाकर, मूल वाद मे शामिल की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 29/01/18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner